राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6378/2022

मुकेश चन्द अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक सेवर, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.12.2022
आदेश की दिनांक : 03.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त टेलर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मधोनी सेवर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालानाड़ा, अजमेर किया गया है तथा आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–1ए) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी की सेवाएं हमेशा संतोषजनक रही हैं। ब्लॉक सेवर में 11 पद रिक्त हैं। ब्लॉक नदबई में 20 पद रिक्त हैं और ब्लॉक बयाना में 29 पद रिक्त हैं। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो अपीलार्थी को किसी एक ब्लॉक में पदस्थापित कर सकता

है, परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला अजमेर में कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आवेदन नहीं दिया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–1ए) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मधोनी सेवर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। चूंकि अपीलार्थी सेवर, जिला भरतपुर में वर्ष 2015 से एक ही स्थान पर पदस्थापित है और सात वर्ष बाद भरतपुर जिले से अजमेर जिले में पदस्थापित किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is*

liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)